राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdbed.cce@gmail.com and jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमाक:—एफ24 (PNOC20-21)/ बी.एड / निकाशि / 2020 / 61 दिनांक:— 09.2.2021

आदेश

क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के द्वारा जारी मान्यता आदेश के अनुसरण में **डी.आर.एम. कॉलेज ग्राम—मनियां, एन.एच.—3, धौलपुर** को **बी.एड.(2 वर्षीय) पाठ्यक्रम 100 सीट (2 यूनिट)** के संचालन हेतु सत्र 2021—22 से स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (PNOC) निम्नलिखित शर्तो के अधीन एतद्द्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक पीटीईटी के माध्यम से मेरिट के आधार पर बी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश दिये जायेगें।
2. महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे, यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबधित महाविद्यालय की स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (PNOC) को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. महाविद्यालय को राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों की पालना करनी होगी।
4. महाविद्यालय द्वारा एनसीटीई मानदण्डानुसार योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन /सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षक—प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेगें।
6. स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिवर्ष, निजी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों/संस्थाओं की अकादमिक गुणवता के संदर्भ में निरीक्षण करवाने, समय—समय पर संस्थाओं हेतु जारी दिशा—निर्देश, नीति निर्धारण करने, से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान एवं समन्वय स्थापित करने बाबत महाविद्यालय को निर्धारित शुल्क रू0 25000/— जमा करवाना होगा। निर्धारित फीस की प्रत्येक तीन वित्तीय वर्ष पश्चात् समीक्षा कर संशोधन किया जा सकेगा।
7. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।
8. राज्य सरकार वर्तमान व भविष्य में महाविद्यालय को कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय,भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को DCF-II (Data Capture format) भरकार प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य है।
10. संस्था स्वयं की वेबसाइट निर्मित कर संस्था से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचना वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
    1—एनसीटीई मान्यता आदेश,
    2— राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (PNOC) का आदेश
    3—अनुमोदित शैक्षणिक स्टॉफ एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की सूची
    4—संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या

उपर्युक्त शर्तो की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (PNOC) को प्रत्याहारित कर लिया जायेगा।

9/02

(संदेश नायक,IAS)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप—4) विभाग,राजस्थान,जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।
4. संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा, (ग्रुप—4) विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. समन्वयक, पीटीईटी
6. रजिस्ट्रार, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
7. क्षेत्रीय निदेशक,डब्लू.आर.सी.—एन.सी.टी.ई.,जी—7, सेक्टर—10,द्वारका, (नियर सेक्टर—10 मैट्रो स्टेशन), नई दिल्ली —110075
8. परियोजना अधिकारी,राज्य सूचना (एनआईसी), शासन सचिवालय,जयपुर।
9. सचिव/प्राचार्य, डी.आर..एम. कॉलेज, ग्राम—मनियां,, एन.एच.—3, धौलपुर—328024
10. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजीसंस्था)
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।